न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–276/16

1. छोटे लाल पुत्र औंकार, जाति कुमावत, निवासी ग्राम भिखावास, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर।

––अपीलान्ट

बनाम

01. तहसीलदार फुलेरा मुख्यालय सांभरलेक, जिला जयपुर।
02. ग्राम सभा खेजडावास जरिये अध्यक्ष ग्रामदानी, ग्राम खेजडावास, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर।
03. दूलीचन्द पुत्र मालीराम,
04. कमला देवी पत्नी दूलीचन्द समस्त जाति बलाई निवासी नयाबास, जोबनेर, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर।
05. जरिये प्रबन्ध एक्सिस बैंक, जयपुर।
06. गिरधारी पुत्र भूरा, जाति बलाई, निवासी ग्राम भिखावास, तहसील फुलेरा जिला जयपुर।
07. हनुमान पुत्र रामू, जाति जाट (मृतक)
    - 7/1. दुर्गालाल पुत्र हनुमान,
    - 7/2. गंगाराम पुत्र हनुमान,
    - 7/3. राधेश्याम पुत्र हनुमान,
    - 7/4. गलखू देवी पत्नी हनुमान, समस्त जाति जाट निवासी ग्राम कालख तहसील फुलेरा, जिला जयपुर।
08. नन्दलाल पुत्र रामूराम, जाति जाट, निवासी ग्राम कालख, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर।
09. पेमाराम पुत्र रामूराम, जाति जाट, निवासी ग्राम कालख, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर।
10. परसाराम पुत्र रामूराम, जाति जाट, निवासी ग्राम कालख, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर।
11. चूनाराम पुत्र रामूराम, जाति जाट, निवासी ग्राम कालख, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर।
12. गोविन्दराम पुत्र रामूराम, जाति जाट, निवासी ग्राम कालख, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर।
13. भंवरलाल पुत्र रूपाराम, जाति जाट, निवासी ग्राम कालख, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर।
14. श्रवणलाल पुत्र रूपाराम, जाति जाट, निवासी ग्राम कालख, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर।
15. मोहन लाल पुत्र रूपाराम, जाति जाट, निवासी ग्राम कालख, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर।
16. मदन लाल पुत्र रूपाराम, समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम कालख, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर।
17. विधाधर पुत्र श्री हरिसिंह, जाति जाट निवासी बी–209 सी, राजेन्द्र मार्ग, बापू नगर, जयपुर।
18. हनुमान पुत्र बालू, जाति बलाई निवासी भिखावास, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

19. संतारा देवी पत्नी रामेश्वर, जाति जाट निवासी 369, लाईन्स लैण्ड सिरसी रोड़ 200 फीट बाईपास, जयपुर।
20. गोपाल लाल पुत्र औंकार, जाति कुमावत, निवासी ग्राम भिखावास, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर।
21. बजरंग लाल पुत्र औंकार, जाति कुमावत निवासी ग्राम भिखावास, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर।
22. मदनलाल पुत्र औंकार, जाति कुमावत, निवासी ग्राम भिखावास, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर।
23. दीपचन्द पुत्र औंकार, जाति कुमावत, निवासी ग्राम भिखावास, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर।
24. कज्जूराम पुत्र उदयराम, जाति जाट, निवासी ग्राम खेजडावास, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर।

——रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 16.10.17

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांभरलेक जिला जयपुर के आदेश दिनांक 25.06.2016 (प्रकरण संख्या 33/2015) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि ग्राम भिखावास तहसील सांभर जिला जयपुर में स्थित मूल खसरा नम्बर 126 की भूमि के सम्बन्ध में ग्राम सभा खेजडावास के अध्यक्ष द्वारा एक प्रार्थना पत्र 14/05/2015 को इस कथन कि साथ प्रस्तुत किया कि खसरा नम्बर 26 में अन्य खसरा नम्बरान की तरमीम काफी समय से नही हुई है वर्तमान नक्शे मे जोबनेर कालवाड रोड के नक्शे में तरमीम नही की गई जिस कारण मौके पर विवाद उत्पन्न होता है व अन्य भू–माफिया लोग ग्रामसभा की भूमि पर कब्जा करने पर उतारू है ऐसी स्थिति में नक्शे की तरमीम की जावे, जिसके आधार पर तहसीलदार फुलेरा ने एक आवेदन क्रमांक भू.अ.15/1136 दिनांक 06.05.2016 द्वारा इस आशय का प्रस्तुत किया कि उपरोक्त विषय में निवेदन है कि प्रार्थना पत्र की पालना श्रीमान् के निर्देशानुसार भू अभिलेख निरीक्षक कालख एवं पटवारी हल्का बस्सीनागा द्वारा पालना कराई जाकर बिन्दूवार पालना रिपोर्ट प्रस्तुत की जा चुकी है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि पटवारी हल्का ने अन्य लोगो को जो कि अपने हिस्से से अधिक हिस्से पर काबिज काश्त है उसको बेजा लाभ पहुँचाने की नियत से मौके व राजस्व रिकार्ड के विपरित प्रस्तावित नक्शे अनुसार सम्पूर्ण भूमि का नक्शा न बनाकर बिना समस्त पक्षकारों की सहमति लिये तथा नियमों व राजस्व भू अधिनियम के प्रावधानों के विपरित रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसके आधार पर अन्य पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत आपत्ति एवं जवाब दावे को नजरअन्दाज करते हुये मनमाना आदेश पारित कर प्रार्थना

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

पत्र धारा 136 स्वीकार किया गया जिससे अपीलान्ट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने व समस्त दस्तावेज प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिये बिना, बिना दस्तावेज व बिना राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किये अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.06.2016 पारित किया गया है, जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। उन्होने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय को प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर अधीनस्थ न्यायालय ने बिना समस्त पक्षकारों की बहस सुने मनमाना एवं विधि विरूद्ध उक्त प्रकरण में अपीलाधीन निर्णय दिनांक 25.06.2016 को पारित कर दिया जिसमें क्षेत्राधिकार से परे जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम को विधि, विधान, संचिका पर उपलब्ध तथ्यों, साक्ष्य–सबूतों के सर्वथा प्रतिकूल स्वीकार कर लिया गया है, जो निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त प्रकरण वास्ते नक्शें में तरमीम करने हेतू प्रस्तुत किया गया था, विधि के प्रावधनों के अनुसार धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के तहज केवल वो दुरूस्तीयॉ की जाती है जो कि दौराने भू–प्रबन्ध या जमाबन्दीयों में लिपिकीय त्रुटि के कारण कोई त्रुटि की गई हो, को ही दुरूस्त किया जा सकता है जिसमें उभयपक्ष पूर्ण रूप से सहमत हो, अन्यथा इसके अतिरिक्त किसी प्रकार की दुरूस्ती धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत नही की जा सकती है इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो विधि विधान के विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था व नक्शें में तरमीम हेतु प्रस्तुत किया गया था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्णतः विधि विधान के विरूद्ध मनमाना एकपक्ष को बेजा लाभ पहुॅचाने की गरज से पक्षकारों के नाम जमाबन्दी में दर्ज रकबे को कम करने के आदेश पारित किया जबकि कानूनी प्रावधानों के अन्तर्गत धारा भू राजस्व अधिनियम के किसी भी प्रकार के रकबे का कम या ज्यादा करने का क्षेत्राधिकार अधीनस्थ न्यायालय को नही था उसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है वह विधि विधान के विरूद्ध होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलाधीन भूमि के सम्बन्ध मे तरमीम हेत पूर्व में अतिरिक्त जिला कलक्टर जयपुर प्रथम ने अपने पत्रांक आर–18बी(2)पी/14/9082 दिनांक 28.11.2014 द्वारा उक्त भूमि के सम्बन्ध मे बार–बार रिपोर्ट चाही गई थी जिसमे स्पष्ट रूप से अंकित किया गया था कि पेमाराम के खाते में 10 बीघा के स्थान पर 12 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर काबिज है, इस सम्बन्ध मे क्या कार्यवाही की गई एवं खसरा नम्बर 126 में रास्ते की भूमि में से किस–किस खातेदारी की कितनी–कितनी भूमि रास्ते में गई व कितना–कितना प्रभावित हुआ इसके सम्बन्ध में रिपोर्ट चाही गई थी उसके सम्बन्ध में आज तक रिपोर्ट प्रस्तुत ना कर पेमाराम के अवैध कब्जे को बदस्तुर बनाये रखने की गरज से मनमाना आदेश पारित कर अन्य के

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

रकबे मे कमी कर तरमीम करने के आदेश दिये गये है, जो पूर्णतः विधि विधान के विरूद्ध एवं कानूनी प्रावधानों के विपरित होने से निरस्तनीय है। उन्होने कथन किया है कि तहसीलदार सांभर द्वारा विवादित भूमि खसरा नम्बर 126 की भू प्रबन्ध विभाग की टीम द्वारा अपने पटवारी हल्का व गिरदावर के साथ मिलकर दिनांक 11.11.2014 को समस्त पक्षकरान की भूमि का सीमाज्ञान कराया गया, पैरा नम्बर 5 मे स्पष्ट रूप से कज्जू व पेमा की भूमि 10 बीघा 10 बिस्वा के स्थान पर 12 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर कब्जा पाया गया, जो स्पष्ट रूप से रिकार्ड पर अंकित किया गया जिसके उपरान्त उसने 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि अधिक कब्जे में अंकित कर रखी है, उक्त रिपोर्ट पत्रावली पर उपलब्ध होने के बावजूद कज्जू व पेमा की भूमि में से उक्त 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि कम न कर 9 बिस्वा भूमि कम की गई, जिससे स्पष्ट है कि समस्त कार्यवाही पूर्णतः विधि विधान के विरूद्ध एकपक्ष को लाभ पहुॅचाने की गरज से की गई है, ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक जिला जयपुर राजस्थान लोक अदालत कैम्प बस्सीनागा द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 अन्तर्गत भू राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 33/2015 बउनवानी सरकार बनाम ग्रामसभा खेजडावास वगैरा में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.06.2016 को निरस्त किया जावें।

रेस्पोडेन्ट संख्या 3, 4, 7/1 से 7/4, 8 से 19 के अधिवक्ता ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 126/1 वाके ग्राम भीखांवास तहसील फुलेरा जिला जयपुर में स्थित है जिसके मौके पर अलग–अलग खातेदारों के अलग–अलग हिस्से व बट्टे नम्बर डालकर नक्शें व जमाबन्दी मे नम्बर चढें हुऐ है जिसके अनुसार आराजी खसरा नम्बर 262/126 रकबा 10 बीघा भूमि की तरमीम काफी पुरानी मौके व कब्जेनुसार हो रखी है तथा मौके पर जोबनेर कालवाड रोड के दक्षिणी पश्चिम तरफ सींव जोड़ कब्जा है, तहसीलदार फुलरा ने जो तरमीम प्रस्तावति नक्शें में दशायी है वह मौके के पुराने कब्जे के अनुसार सही है, उक्त तरमीम किये जाने से रेस्पोडेन्ट को कोई आपत्ति नही होने व अन्य खातेदारों की भूमि भी मौके के कब्जेनुसार नक्शें में दर्शाये गये प्रस्तावित तरमीम के अनुसार ही होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रुटि नही की गई है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट खारिज योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 3, 4, 7/1 से 7/4, 8 से 19 कथन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 126/1 की नक्शें में तरमीम न होने से कज्जूराम द्वारा एक झूठा विवाद उत्पन्न कर रखा है, अतिरिक्त जिला कलक्टर ने अपने पत्रांक 6614 के द्वारा जिन बिन्दूओं पर अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया था उन्ही बिन्दूओं के अनुसार तरमीम की कार्यवाही की गई है। उन्होने कथन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 126/1 में कज्जूराम जाखड के नाम खातेदारी में कोई भूमि दर्ज नही वरन् वर्तमान मे

अतिरिक्त आयुक्त
जयपुर

खसरा नम्बर 268/126 राजस्व रिकार्ड में ग्रामसभा खेजडावास के नाम खातेदारी में दर्ज है, आराजी खसरा नम्बर 262/126 जो कि जोबनेर से कालवाड जाने वाले रोड के दक्षिण तरफ पश्चिमी भाग पर हनुमान, नन्दलाल, पेमाराम पुत्रान रामूराम वगै. काबिज है तथा वर्षो से उन्ही का उक्त स्थान पर कब्जा है जिसको तहसीलदार सांभर ने प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नक्शें में बैंगनी रंग से रोड़ से दक्षिणी पश्चिमी तरफ सही दर्शाया है तथा ग्राम सभा ग्रामदानी गांव खेजडावास की भूमि को खसरा नम्बर 268/126 गुलाबी रंग से रोड़ से उत्तर की तरफ सही दर्शाया है तथा तहसीलदार सांभर द्वारा प्रस्तावित नक्शे व मौके के कब्जेनुसार सभी खातेदारों की तरमीम किया जाना न्यायोचित होने पर ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रुटि नही की गई है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 3, 4, 7/1 से 7/4, 8 से 19 ने कथन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 126/1 की तरमीम के सम्बन्ध में व सीमाज्ञान के सम्बन्ध में किसी भी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही रहा है तथा अतिरिक्त जिला कलक्टर, प्रथम ने भी अपने पत्र दिनांक 06.06.14 में निर्देशित शर्तो का कोई उल्लंघन करते हुए तहसीलदार सांभर ने कोई गलत आवेदन पेश नही किया है तथा न ही तहसीलदार सांभर रेस्पोडेन्ट पेमाराम को कोई नाजायज लाभ पहुॅचाने के इरादे से ग्राम सभा की भूमि पर काबिज करवाने को प्रयासरत है बल्कि तहसीलदार सांभर ने मौके की वस्तुस्थिति के अनुसार ही अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत कर तरमीम करवाने का निवेदन किया है जो न्यायोचित है, जयपुर कालवाड रोड़ के दक्षिण दिशा में न तो कोई ग्राम सभा की कोई भूमि है वरन् जिस–जिस खातेदार का जहॉ–जहॉ कब्जा है व जितनी–जितनी खातेदारी की भूमि है, उतनी–उतनी उस जगह की भूमि का नक्शा व विवरण रंगों में दशार्ते हुए तहसीलदार फुलेरा द्वारा प्रार्थना पत्र व नक्शा सही प्रस्तुत किया गया है जो मौके के अनुसार ही है जहॉ पेमाराम वगै. का कब्जा है वहॉ पर पेमाराम की ही भूमि दर्शायी गयी है, ग्राम सभा की कोई भी भूमि रोड़ के दक्षिण की तरफ न होने से ग्राम सभा की तरमीम रोड से दक्षिण तरफ किये जाने का प्रश्न ही पैदा नही होता। ग्रामदानी गांव खेजडावास की भूमि आराजी खसरा नम्बर 268/126 के रूप में रोड़ से उत्तर की तरफ है जो नक्शें मे सही दर्शायी गयी है तथा मुताबिक तहसीलदार द्वारा प्रस्तावित नक्शे के अनुसार तरमीम किया जाना न्यायहित में आवश्यक होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई गलती नही की गई है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि तहसीलदार फुलेरा द्वारा वादग्रस्त आराजी के खातेदारों के मौके, कब्जे एवं रिकार्ड के अनुसार पृथक–पृथक तरमीम प्रस्तावित करने पर खातेदारान व अध्यक्ष, ग्राम सभा ग्रामदान, खेजडावास तहसील फुलेरा जिला जयपुर की

P.T.O.

सहमति पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.06.2016 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांभरलेक द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.06.2016 को यथावत रखा जाता है।

(राजेश्वर सिंह)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 16.10.2017 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।